भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 910 का उत्तर

रेल यात्रियों की सुरक्षा का स्तर

910. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यात्रियों, विशेषकर महिलाओं के उपयोग के लिए डिब्बों में आपातकालीन संकट (एस ओ एस) प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनों में केवल महिलाओं के लिए आरक्षित विशेष डिब्बे शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण और जांच तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाली महिलाओं सहित यात्रियों की संरक्षा व सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेल पुलिस के साथ समन्वय करके निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. संवेदनशील और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन रेलगाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।
2. अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।
3. तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
4. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।
5. चोरी, छीना-झपटी, ज़हरखुरानी आदि के तहत सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।
6. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।
7. 'मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा अर्थात् प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक संरक्षा व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
8. महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और रेलवे सुरक्षा बल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

9. महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं और अपराधियों के विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानो के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रेल पर यात्रियों की संरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए चल स्टॉक में सुधार/उन्नयन करना एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तदनुसार, वंदे भारत रेलगाड़ियों के प्रत्येक सवारी डिब्बे में चार आपातकालीन टॉक बैक यूनिटें लगाई गई हैं, जिनके जरिए आपात स्थिति में यात्री गाड़ी प्रबंधक/लोको पायलट से संपर्क कर सकते हैं। वंदे भारत रेलगाड़ियों के प्रत्येक सवारी डिब्बों में आपात स्थिति में उपयोग के लिए चार यात्री आपातकालीन बटन भी मुहैया कराए गए हैं।

भारतीय रेल के चल स्टॉक के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई.पी.) आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली को उपयोग के लिए आर.डी.एस.ओ. की विशिष्टि संख्या आरडीएसओ/एसपीएन/टीसी/106/2025 के संस्करण 3.1 के अंतर्गत सवारी डिब्बों में पैनिक बटन का प्रावधान किया गया है।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 58 में रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए स्थान निर्धारित करने का प्रावधान है। तदनुसार, यात्री रेलगाड़ियों में, भारतीय रेल ने महिला यात्रियों के लिए निम्नलिखित स्थान निर्धारित किए हैं:

i. महिला यात्री अकेले या महिला यात्रियों के समूह में यात्रा कर रही हो, भले उनकी आयु कुछ भी हो, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की शयनयान श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा और राजधानी/दूरंतो/पूर्णतया वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तृतीय वातानुकूल श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।
ii. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में छह से सात निचली शायिकाएं,

वातानुकूल 3 टियर श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में चार से पांच निचली शायिकाएं और वातानुकूल 2 टियर श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में तीन से चार निचली शायिकाएं (रेलगाड़ी में उस श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या पर निर्भर) का एक संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

iii. मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बों में भी महिला यात्रियों के लिए स्थान निर्धारित किया गया है।

iv. उपनगरीय रेलगाड़ियों में विशेष रूप में महिला यात्रियों के उपयोग के लिए अलग से आरक्षित कंपार्टमेंट/सवारी डिब्बें निर्धारित किए गए हैं।

v. मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद और चेन्नै के उपनगरीय रेलखंडों के साथ-साथ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रेलखंडों पर महिला विशेष सेवाएं परिचालित की जा रही हैं।

******